भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
27.11.2024 के
अतारांकित प्रश्न सं. 319 का उत्तर

रेलवे स्टेशनों में वाटर वेंडिंग मशीन (डब्ल्यूवीएमएस)

319. श्री अनूप संजय धोत्रे:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश भर में रेलवे स्टेशनों पर पेयजल की अपर्याप्त आपूर्ति की शिकायतें प्राप्त हुईं हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्रवाई सहित तत्संबंधी जोन-वार ब्यौरा क्या है

(ग) देश भर में वहनीय लागत पर पेयजल उपलब्ध कराने के लिए रेलवे स्टेशनों पर कितनी वाटर वेंडिंग मशीनें (डब्ल्यूवीएम) लगाई गई हैं और ऐसे डब्ल्यूवीएम की स्थापना की अनुमानित लागत जोन-वार कितनी है;

(घ) क्या सरकार को उक्त अवधि के दौरान देश भर में रेलवे स्टेशनों पर आपूर्ति किए गए संदूषित पेयजल की शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी जोन-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) सरकार द्वारा देश के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को वहनीय दरों पर पर्याप्त सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (च): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

S.K

रेलवे स्टेशनों में वाटर वेंडिंग मशीन (डब्ल्यूवीएमएस) के संबंध में दिनांक 27.11.2024 को लोक सभा में श्री अनूप संजय धोत्रे के अतारांकित प्रश्न सं. 319 के भाग (क) से (च) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (च): रेलवे का यह प्रयास है कि भारतीय रेल के सभी स्टेशनों पर सुरक्षित और पीने योग्य पानी की सुविधा मुहैया कराई जाए।

रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध कराए जा रहे पीने के पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर जांच करने और आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। पीने के पानी की सुविधाओं की नियमित निरीक्षण और अनुरक्षण किया जाता है और शिकायतों का तुरंत निपटारा किया जाता है।

जल आपूर्ति सहित सेवाओं में कमी के संबंध में शिकायतें विभिन्न माध्यमों जैसे कि लोक शिकायत, वेब पोर्टल, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से प्राप्त होती हैं। ये शिकायतें रेलवे बोर्ड, क्षेत्रीय रेलवे, मंडल कार्यालय आदि सहित भिन्न स्तरों पर प्राप्त होती हैं। प्राप्त शिकायतों को रेलवे की संबंधित शाखाओं को भेज दिया जाता है और शिकायत की जांच और समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाती है। चूंकि ऐसी शिकायतों की प्राप्ति और उन पर की गई कार्रवाई एक निरंतर और गतिशील प्रक्रिया है, इसलिए इनका केंद्रीकृत सार-संग्रह नहीं रखा जाता है।

भारतीय रेल पर स्थापित वाटर वेंडिंग मशीन (डब्ल्यूवीएमएस) का क्षेत्रवार विवरण संलग्न हैं। स्टेशनों पर वाटर वेंडिंग मशीनें लगाने के अलावा, भारतीय रेल गाड़ियों और स्टेशनों में सुरक्षित और किफायती पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर बोतलें 'रेल नीर' उपलब्ध कराता है, जिसे भारतीय मानक ब्यूरो (बीआइएस) द्वारा अनुमोदित किया गया है। भारतीय रेल में प्रतिदिन लगभग 13 लाख लीटर रेल नीर पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर गाड़ियों और स्टेशनों पर यात्रा करने वाले यात्रियों को दिया जाता है।

*****

S.K

अनुलग्नक-I

भारतीय रेल पर स्थापित पेय-जल वेंडिंग मशीनों (डब्ल्यूवीएमएस) का क्षेत्र-वार विवरण

रेलवे ज़ोन	स्थापित पेय-जल वेंडिंग मशीनों (डब्ल्यूवीएमएस) की संख्या
मध्य रेलवे	71
पूर्व रेलवे	24
पूर्व तट रेलवे	47
पूर्व मध्य रेलवे	203
उत्तर रेलवे	84
पूर्वोत्तर रेलवे	53
उत्तर मध्य रेलवे	86
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	51
उत्तर पश्चिम रेलवे	45
दक्षिण रेलवे	58
दक्षिण मध्य रेलवे	76
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे	8
दक्षिण पश्चिम रेलवे	22
दक्षिण पूर्व रेलवे	41
पश्चिम रेलवे	45
पश्चिम मध्य रेलवे	40
कुल	954

******

S.K